राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ.18(आई–41)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2012/ 7021-7128 दिनांक : 13/9/12

परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद, समस्त (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :– एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यकम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार जिला स्तर पर परियोजना प्रबन्धक एवं लेखाधिकारी, जिला परिषद के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि हस्तान्तरण एवं भुगतान की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त वृहत धनराशि के सुचारू संचालन हेतु यह आवश्यक है कि परियोजना से सम्बन्धित कार्य समर्पित लेखाकर्मियों द्वारा ही सम्पादित किये जावें। विभागीय आदेश कमांक 5275–5359 दिनांक 17.08.2012 के माध्यम से सभी परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर में एक लेखाकार का पद सृजित कर दिया गया है।

अतः पूर्व में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए निर्देश दिये जाते है कि जिन जिलों में परियोजना प्रबन्धक कार्यालय में नियमित लेखाकार की नियुक्ति हो चुकी है एवं सम्बन्धित कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, वहां परियोजना प्रबन्धक एवं इनके कार्यालय में कार्यरत लेखाकार के संयुक्त हस्ताक्षरों से परियोजना फण्ड एवं संस्थागत व्यवस्थाओं हेतु खुलवाये गये बैंक खातों का संचालन/राशि हस्तान्तरण/भुगतान/समायोजन/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जावें। जिन कार्यालयों में नियमित लेखाकार की नियुक्ति नहीं हुई है अथवा सम्बन्धित कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, वहां नियमित लेखाकार के कार्यभार ग्रहण करने तक उक्त कार्य पूर्ववत परियोजना प्रबन्धक एवं लेखाधिकारी, जिला परिषद के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही सम्पादित किया जाता रहेगा।

उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग से अनुमोदित है।

निदेशक

कमांक : एफ.18(आई–41)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2012/ 7021-7128 दिनांक : 13/9/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक–I/II, निदेशालय, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त) (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
6. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,MIES)/PO(LR), निदेशालय, जयपुर।
7. लेखाधिकारी, जिला परिषद (समस्त) (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
8. लेखाकार, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त) (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

निदेशक